The Jharkhand Electricity Duty (Amendment) Act, 2011

Act No. 10 of 2011

Keywords:

Consumer, Energy, Licensee, Captive Generating Plant, Duty, Mines, Supply

Amendments appended: 5 of 2021, 2 of 2022

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 आषाढ़, 1933 शकाब्द

संख्या 459

राँची, शुक्रवार 24 जून, 2011

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

24 जून, 2011

संख्या–एल०जी०–05/2011–77/लेज०––झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अध्यादेश, जिस पर राज्यपाल दिनांक 23 जून, 2011 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :–

[झारखण्ड अधिनियम संख्या 10, 2011]

झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2011

झारखंड सरकार द्वारा एस० ओ० संख्या 117 दिनांक 15.12.2000 द्वारा यथा अंगीकृत बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम 36, 1948) को झारखण्ड राज्य में लागू एवं प्रवर्त्तन करने के लिए संशोधन हेतु अधिनियम ।

प्रस्तावना – चूंकि, राज्य निधि में संसाधनों के वृद्धि हेतु अविलम्ब कदम उठाया जाना आवश्यक हो गया है, जिसके आलोक में विद्यमान एवं अंगीकृत बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 के कतिपय प्रावधानों में संशोधन तथा पूर्व से लागू विद्युत शुल्क दरों में पुनरीक्षण की आवश्यकता है,

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ –

(i) यह अधिनियम झारखण्ड बिद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलाएगा।

(ii) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध में इस विधेयक के प्रारंभ के प्रति संदर्भ का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह मूल उपबंध के प्रति संदर्भ है।

2. धारा 2 में संशोधन –

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत) की धारा 2 के खंड (क),(ख),(ग),(घ),(ड़), और (च) निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित एवं पुनः सांख्यांकित किए जायेंगे : –

(घ) इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए "आयुक्त" से अभिप्रेत है वाणिज्य कर आयुक्त या वाणिज्य कर अपर आयुक्त जिसे झारखंड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखंड अधिनियम 05, 2006) की धारा 4 के तहत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है, और कोई अन्य अधिकारी जो झारखंड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत नियुक्त है, भी शामिल है, जिसे इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, आयुक्त के समी या कोई अधिकार या कर्तव्य प्रदान कर सकती है।

स्पष्टीकरण– 10 जून, 2003 और 31 मार्च, 2006 की अवधि के दौरान आयुक्त, अंगीकृत बिहार वित्त अधिनियम (भाग–1) 1981 (1981 के बिहार अधिनियम 05) की धारा 9 के अधीन नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

(ड.) बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (झारखण्ड में यथा अंगीकृत) के प्रयोजनार्थ 'उपभोक्ता' से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे 'लाईसेंसधारी या लाईसेंसधारी वितरक' या 'सरकार' अथवा विद्युत अधिनियम, 2003 या तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य नियम के अधीन जनता को बिजली आपूर्ति करने के कारोबार में लगा 'कोई अन्य व्यक्ति द्वारा अपनी स्वयं की खपत के लिए बिजली आपूर्ति की जाती है। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जिसका परिसर या आवास प्रतिष्ठान यथास्थिति, 'लाईसेंसधारी', 'लाईसेंसधारी वितरक'

'सरकार' या 'अन्य व्यक्ति' के संकर्म से बिजली प्राप्ति के प्रयोजनार्थ तत्समय जुड़े हैं तथा इसमें यह भी शामिल है – (i) 'लाईसेंसधारी' जो अपने द्वारा पैदा किए गए या अन्य लाईसेंसधारी द्वारा आपूरित बिजली का उपभोग करता है, और (ii) बिजली का वास्तविक उपभोक्ता अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो अपने द्वारा उत्पादित बिजली का उपभोग करता है।

(छ) "ऊर्जा" का अर्थ विद्युतीय ऊर्जा है –

(क) उत्पादित, प्रेषित, आपूर्ति या किसी प्रयोजनार्थ कारोबार करने के लिए; या

(ख) किसी भी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त, संदेश के प्रसारण के अतिरिक्त;

लेकिन उपभोक्ता को आपूर्ति करने से पहले, "लाइसेंसधारी" या "वितरक लाइसेंसी" द्वारा प्रसारण या परिवर्तन में विद्युत भुगतान की क्षति शामिल नहीं होगी।

(झ) "लाइसेंसधारी" का अर्थ है जिसे इस उद्देश्य के लिए लाइसेंसधारी समझा गया है या विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 एवं बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत) के उदेश्य हेतु जिसे लाइसेंस प्रदान किया गया है।

इस अधिनियम में शामिल हैं;

(i) "बोर्ड"(झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड या बिहार विद्युत बोर्ड);

(ii) दामोदार घाटी निगम अधिनियम, 1948 (1948 की अधिनियम संख्या XIV) द्वारा यथास्थापित दामोदर घाटी निगम;

(iii) नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन;

(iv) कैप्टिव उत्पादन संयंत्र

(v) उत्पादन कंपनी;

(vi) कोई भी अन्य व्यक्ति, फर्म, निगम, कंपनी, चाहे सरकारी हो या नहीं, जो विद्युत के निर्माण, वितरण और आपूर्ति में लगे हैं और ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्हें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 13 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करने से छूट प्रदान की गई है।

व्याख्या – शब्द Licencee या शब्द Licensee का एक ही अर्थ और विस्तार–क्षेत्र होगा जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 में प्रयुक्त किया गया है।

(ञ) न्यायाधिकारण का अर्थ है, झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) की धारा 3 के अन्तर्गत गठित झारखण्ड वाणिज्य–कर न्यायाधिकरण।

स्पष्टीकरण – 10 जून, 2003 और 31 मार्च, 2006 की अवधि के बीच न्यायाधिकरण अंगीकृत बिहार वित्त अधिनियम (भाग–1) 1981 (1981 का बिहार अधिनियम 05) की धारा 8 के अन्तर्गत नियुक्त एवं कार्यरत समझा जायेगा।

2. बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत) की धारा 2 का विद्यमान खंड (च), खंड (ज) के रूप में पुनर्कमांकित किया जाएगा।

3. **बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत) की धारा 2 में नई परिभाषाओं का अन्तःस्थापन।**

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत) की धारा 2 के खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ड), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ), और (ण) के रूप में नई परिभाषाओं का निम्नांकित रूप से अन्तःस्थापित किया जाएगाः–

(क) "ऊर्जा के वास्तविक उपयोगकर्ता" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो उपभोक्ता नही है, लेकिन कैप्टिव उत्पादन संयंत्र से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करता है।

(ख) "कैप्टिव उत्पादन संयंत्र" से अभिप्रेत है एक ऊर्जा संयंत्र जो व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के संघ द्वारा या किसी सहकारी समिति द्वारा मुख्यतः खुद के उपयोग के लिए या सदस्यों के उपयोग के हेतु बिजली उत्पादन के लिए स्थापित किया जाता है, और साथ ही ऊर्जा संयंत्र जिसे ऐसी उत्पादित अधिशेष ऊर्जा को बेचने की स्वीकृति है जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उप–धारा (8) के अंतर्गत परिभाषित है।

(ग) "कंपनी" से अभिप्रेत है सरकारी कम्पनी सहित कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन गठित एवं निबंधित कोई कम्पनी और इसमें केन्द्र, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम के अधीन निगमित एवं विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उप–धारा (8) के अधीन यथा परिभाषित निकाय भी शामिल है।

(घ) "शुल्क" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 3 के तहत देय विद्युत शुल्क और इसके अन्तर्गत अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है।

(ड़) "सरकार" से अभिप्रेत है झारखंड सरकार

(च) "औद्योगिक इकाई" से अभिप्रेत है एक ऐसी औद्योगिक इकाई जो मुख्यतः सम्बद्ध है :–

(i) माल के उत्पादन या निर्माण या प्रसंस्करण में;

(ii) कोई खुदरा काम जो माल के विनिर्माण या उत्पादन में छूट देता है किन्तु इसमें वैसी इकाई शामिल नही है जो ऐसे प्रतिष्ठान के परिसर में उपभोग हेतु किसी प्रकार के भोजन या पेय या दोनों का विनिर्माण या उत्पादन करती है।

(iii) जिनको 100 केवीए और 6.6 केवी/11केवी/33केवी या 132 केवी पर 3 चरण के साथ और अधिक के आगे "लाइसेंसधारी" या " लाइसेंसधारी वितरक" या समय समय पर राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जिनको अधिसूचित किया जाए के द्वारा करार मांग पर बिजली की आपूर्ति की जाती है

स्पष्टीकरण– औद्योगिक इकाई के परिसर में "खान" और इस प्रकार के परिसर जो आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, शामिल नहीं हैं।

(छ) "खान" से अभिप्रेत है एक खान जिस पर खान अधिनियम, 1952 (1952 की संख्या 35) लागू होता है और अंगीकृत बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 के उद्देश्य के लिए इसमें शामिल हैं परिसर या मशीनरी या संयंत्र जो खान में या बगल में स्थित हैं और जो खनिज के कुचलने, प्रसंस्करण, उपयोग के लिए, धोने या परिवहन के लिए इस्तोल किया जाता है, लेकिन "औद्योगिक इकाई" में शामिल नहीं है।

(ज) "माह" से अभिप्रेत है कलेण्डर माह;

(झ) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना;

(ञ) "व्यक्ति" से अभिप्रेत है एक व्यक्ति, फर्म, कंपनी या निगमित निकाय या संघ या निजी व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या कृत्रिम विधिक व्यक्ति;

(ट) "परिसर" से अभिप्रेत है, बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 के प्रयोजनार्थ निवास, वाणिज्य, कार्यालय, खेल, क्लब, पुस्तकालय, कैंटीन की अपेक्षा औद्योगिक उद्देश्यों या खनन उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जाने वाला कोई भी औद्योगिक उपक्रम या खनन उपक्रम द्वारा प्रयुक्त परिसर।

(ठ) "विहित प्राधिकारी" से अभिप्रेत है उक्त अधिसूचना की तत्संबंधी प्रविष्टियों में उल्लेखित अपने–अपने क्षेत्र/क्षेत्रों के भीतर बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (झारखण्ड में यथा अंगीकृत के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए उक्त अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं कर्त्तव्यों के प्रयोग या संपादन के लिए झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम, 5, 2006) की धारा 4 के अधीन यथा नियुक्त एवं उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (2) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारीगण।

स्पष्टीकरण – 10 जून, 2003 और 31 मार्च, 2006 की अवधि के बीच विहित प्राधिकारी अंगीकृत बिहार वित्त अधिनियम (भाग–1) 1981 (1981 का बिहार अधिनियम 05) की धारा 9 के अन्तर्गत नियुक्त समझा जायेगा।

(ल) "राज्य" से अभिप्रेत है झारखंड राज्य ;

(व) बिजली के सम्बन्ध में "आपूर्ति" से अभिप्रेत है एक "लाइसेंसधारी" द्वारा दूसरे लाइसेंसधारी(यों) या "लाइसेंसधारी वितरक" को या उपभोक्ता को, बिजली की बिक्री या " लाइसेंसधारी वितरक " द्वारा उपभोक्ता को बिजली की बिक्री।

(श) "यूनिट" से अभिप्रेत है एक किलोवाट घण्टा बिजली;

इस अधिनियम में प्रयुक्त लेकिन परिभाषित नहीं किए गए शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो विद्युत अधिनियम, 2003 में उनके लिए दिया गया है।

4. धारा 3क का विलोपन – बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत) की विद्यमान धारा 3 क को विलोपित किया जाता है।

5. धारा 4 में संशोधन – बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत) की धारा 4 में संशोधन

(i) उप–धारा (1) में, "प्रत्येक लाइसेंसधारी" शब्द के बाद और "प्रत्येक माह अदा करेगा" शब्द के पहले, "या कोई अन्य व्यक्ति, जो शुल्क अदा करने के लिए उत्तरदायी है", शब्द जोड़ा जायेगा।

(ii) उप–धारा (2) में, "प्रत्येक लाइसेंसधारी" शब्द के बाद और "उपभोक्ता से वसूल सकता है" शब्द से पहले ""या अन्य किसी व्यक्ति से, जो शुल्क अदा करने के लिए उत्तरदायी है" शब्द जोड़ा जायेगा।

(iii) उप–धारा (3) विलोपित की जाएगी।

(iv) उप–धारा (4) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"राज्य सरकार के विभाग सहित प्रत्येक व्यक्ति या उपभोक्ता जो शुल्क भुगतान करने का दायी है, जो स्वयं के उपयोग या अपने कर्मचारियों के उपयोग के लिए या आंशिक बिक्री के लिए या आंशिक उपभोग के लिए या अन्यथा अपने कैप्टिव उत्पादन संयत्र से बिजली का उत्पादन करता है, तो वह धारा 3 के अधीन स्वयं द्वारा या अपने कर्मचारियों द्वारा या बेची गयी बिजली की इकाइयों पर विहित रीति से प्रत्येक माह समय पर शुल्क का भुगतान करेगा।"

(v) उप–धारा (4क) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

लाइसेंसधारी के अलावा प्रत्येक व्यक्ति या उपभोक्ता, जो बिक्री या खुद के उपयोग या किसी अन्य उपयोग के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है, लाइसेंसधारी या कैप्टिव उत्पादन संयंत्र या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उत्पादित ऊर्जा की थोक आपूर्ति करता है तो वह बेची गई या खपत की गई इकाइयों पर धारा 3 के तहत प्रत्येक माह राज्य सरकार को विहित समय और तरीके के अनुसार उचित शुल्क अदा करेगा।

6. बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (झारखण्ड में यथा अंगीकृत) से संलग्न अनुसूची का संशोधन –

निम्नलिखित अनुसूची द्वारा वर्तमान अनुसूची प्रतिस्थापित की जायेगी:–

अनुसूची

(धारा 3 देखें)

क्रम संख्या	उद्देश्य	यूनिट पर शुल्क की दर	शुद्ध मूल्य पर प्रतिशत के आधार पर शुल्क की दर (ऐसे परिसरों में जहां मीटर नहीं लगा हुआ है)
1	2	3	
1.	सिंचाई एवं कृषि सेवा के लिए	दो पैसा प्रति यूनिट	दो प्रतिशत
2.	मन्दिरों, अग्नि मन्दिरों, गुरूद्वारों, मस्जिदों, चर्चों या अन्य किसी धार्मिक एवं प्रार्थना स्थलों के लिए किसी धार्मिक समुदाय के लिए दफन/श्मशान परिसरों के लिए, घरेलु एवं गैर–घरेलु उद्देश्यों धार्मिक / प्रार्थना प्रतिष्ठानों से जुड़े हैं के परिसर में खपत के सम्बन्ध में	दो पैसा प्रति यूनिट	दो प्रतिशत

3.	घरेलु उपभोक्ताओं के लिए – (क) 250 यूनिट तक (ख) 250 यूनिट से अधिक	 बीस पैसा प्रति यूनिट चौबीस पैसा प्रति यूनिट	 बीस प्रतिशत चौबीस प्रतिशत
4.	गैर–घरेलु उपभोक्ताओं के लिए (क) 250 यूनिट तक (ख) 250 यूनिट से अधिक	 चौबीस पैसा प्रति यूनिट तीस पैसा प्रति यूनिट	 चौबीस प्रतिशत तीस प्रतिशत
5.	निम्नलिखित में खपत के लिए– (क) खान, जहां कुल भार 100बीएचपी से अधिक नहीं है	पंद्रह पैसा प्रति यूनिट	पंद्रह प्रतिशत
	(ख) खान, जहां कुल भार 100बीएचपी से अधिक है	बीस पैसा प्रति यूनिट	बीस प्रतिशत
6.	निजी नर्सिंग होम, निजी अस्पतालों, क्लबों, शॉपिंग मॉल्स, कोल्ड स्टोरेज, मल्टीप्लेक्सेज, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्सेज जिनमें स्टेडियम भी शामिल हैं और ऐसे होटल जहां कमरे का किराया पांच सौ रूपये प्रति दिन से अधिक है, पंजीकृत समितियों की आवासीय कालोनियों एवं अन्य आवासीय कालोनियों/बहु–मंजिली आवासीय काम्पेलेक्सेज जो थोक में भार ले रहे हैं (साथ ही आवासीय कालोनी के परिसर या बहुविध आवासीय काम्पलेक्स के भीतर लिफ्ट, वाटर पम्प, और सामान्य घरेलु खपत शामिल) के लिए	बीस पैसा प्रति यूनिट	बीस प्रतिशत
7.	औद्योगिक इकाईयों में खपत के लिए	पांच पैसा प्रति इकाई	पांच प्रतिशत
8.	प्रदर्शिनियों, विक्रय प्रोत्साहनों, मेला, शो या औपचारिक अवसरों पर सजावटों या इसी प्रकार के अन्य अवसरों पर विद्युत की आस्थाई आपूर्ति हेतु	बीस पैसा प्रति इकाई	बीस प्रतिशत
9.	सार्वजनिक स्थलों पर विज्ञापन या प्रदर्शन, या इस प्रकार के परिसरों के भीतर/बाहर, अन्य, जिनमें सामान और सेवाएः विज्ञापित की जाती हैं, प्रदर्शित की जाती हैं, बेची जाती हैं, की आपूर्ति की जाती है या प्रदान की जाती है के उद्देश्यों से खपत के लिए	पच्चीस पैसा प्रति इकाई	पच्चीस प्रतिशत
10.	खपत की ऐसी कोई श्रेणी या श्रेणियों जो विद्युत खपत की ऊपर वर्णित श्रेणियों में नहीं आती हैं, के लिए	पन्द्रह पैसा प्रति इकाई	पंद्रह प्रतिशत

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पंकज श्रीवास्तव,

सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी

विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधिसूचना

24 जून, 2011

संख्या–एल०जी०–05/2011–78/लेज०–झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 23 जून, 2011 को अनुमत झारखण्ड विद्युत् शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2011 का

निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

[Jharkhand Act No. 10, 2011]

JHARKHAND ELECTRICITY DUTY (AMENDMENT) Act, 2011

An Act to amend the Bihar Electricity Duty Act 1948 (Bihar Act 36 of 1948), as adopted in Jharkhand vide S.O. No. 117 dated 15.12.2000, in regard to its applicability and enforcement within the State of Jharkhand.

BE it enacted by the Legislature of the State of Jharkhand in the Sixty First year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement -

i) This Act may be called the Jharkhand Electricity Duty (Amendment) Act, 2011.

ii) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.

iii) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint and different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference is any such provision to the commencement of this Act shall be construed to the commencement of that provision.

2. Amendment of clause (a), (b), (c), (d) (e) and (f) of Section 2 of Bihar Electricity Duty Act, 1948 (as adopted in Jharkhand :- (1) The clause (a), (b), (c), (d) and (e) of Section 2 of Bihar Electricity Duty Act, 1948 (As adopted in Jharkhand) shall be substituted and renumbered as follows -

(d) **"Commissioner"** for the purpose of this Act means the Commissioner of Commercial Taxes or Additional Commissioner of Commercial Taxes as appointed by the Government under section 4 of the Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 (Jharkhand Act 05, 2006) and includes any other officer appointed under Section 4 of Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 upon whom the State Government may by notification, confer all or any of the powers and duties of the Commissioner to carry out the purposes of Bihar Electricity Duty Act, 1948 (as adopted in Jharkhand).

Explanation - During the period between 10.06.2003 and 31.03.2006 the Commissioner shall be deemed to have been appointed u/s 9 of the Bihar Finance Act (Part-1)1981 (Bihar Act 05 of 1981) as adopted in Jharkhand.

(e) **"Consumer"** for the purpose of Bihar Electricity Duty Act, 1948 (as adopted in Jharkhand) means any person who is supplied with electricity for his own consumption, by a "licencee" or "distribution licencee" or the "Government" or by "any other person" engaged in the business of supplying electricity to the public under The Electricity Act 2003, or any other law for the time being in force including any person whose premises or residence or establishment are for the time being connected for the purpose of receiving electricity with the works of a "licencee", "distribution licencee", the "Government" or such "other person", as the case may be, and also includes; (i) a "licencee" who consumes electricity whether generated by himself and or supplied to him by any other licencee; and (ii) actual user of power or any other person who consumes electricity generated by himself;

(g) **"Energy"** means electrical energy -
(a) generated, transmitted, supplied or traded for any purpose; or

(b) used for any purpose except the transmission of a message; but shall not include the losses of electricity sustained in transmission or transformation by a "licencee" or a "distribution licencee", before supply to a consumer.

(j) **"Licencee"** means a person who has been deemed to be a licencee or granted a licence under section 14 of The Electricity Act 2003 and for the purpose of Bihar Electricity Duty Act, 1948 (as adopted in Jharkhand) includes;

(i) the "Board" (Jharkhand State Electricity Board or Bihar Electricity Board as the case may be)";
(ii) the Damodar Valley Corporation as established by Damodar Valley Corporation Act, 1948 (Act No. XIV of 1948)
(iii) National Thermal Power Corporation;
(iv) Any Captive Generating Plant;
(v) Any Generating Company; and
(vi) Any other individual, firm, corporation, company, whether government or not, engaged in the generation, distribution and supply of electricity and also includes such persons who have been exempted for obtaining licence under section 13 of The Electricity Act 2003.

Explanation - The term "Licencee" or the term "Licensee" shall have the same meaning and scope as assigned in The Electricity Act 2003.

(t) **"Tribunal"** means the Jharkhand Commercial Taxes Tribunal as constituted under section 3 of the Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 (Jharkhand Act 05, 2006)

Explanation – During the period between 10.06.2003 and 31.03.2006 the Tribunal shall be deemed to have been appointed and functional u/s 8 of the Bihar finance Act (Part-1) 1981 (Bihar Act 05 of 1981 as adopted in Jharkhand

(2) The existing clause (f) of the section 2 of Bihar Electricity Duty Act 1948 (as adopted in Jharkhand shall be renumbered as clause (p)

3. Insertion of new definitions in Section 2 of Bihar Electricity Duty Act 1948 (as adopted in Jharkhand) :-

In section 2 of Bihar Electricity Duty Act 1948 (as adopted in Jharkhand to following new definitions be inserted as clause (a), (b), (c), (f), (h), (i) (k) (l), (m), (n), (o), (q), (r), (s) and (u).

(a) "Actual user of power" means one who is not a consumer, but uses power out of captive generating plant.

(b) "Captive generating plant" means a power plant or generator set up by any person or association of persons or any Co-operative society to generate electricity primarily for his own use or for the use of members, and includes the power plants that are permitted to sell the surplus power so generated and as defined under sub-section (8) of Section 2 of The Electricity Act 2003.

(c) "Company" means a company including government company formed and registered under the Companies Act, 1956 and includes any body corporate under a Central, State or Provincial Act and as defined under sub-section (13) and (31) of Section 2 of The Electricity Act 2003.

(f) "Duty" means electricity duty payable under section 3 of Bihar Electricity Duty Act, 1948 (as adopted in Jharkhand) and includes additional duty,

(h) "Government" means the Government of Jharkhand.

(i) "Industrial unit" means an industrial unit engaged, predominantly in :

(i) the manufacture or production or processing of goods;

(ii) any job work which remits in the manufacture or production of goods, but does not include a unit which manufactures or produces any kind of food or drinks or both; meant ordinarily for consumption in the premises of such establishment; and

(iii) who are supplied with the electrical energy with a contract demand above 100 KVA or more with 3 Phase at 6.6 KV/11KV/33KV or 132KV by a "licencee" or a "distribution licencee" or as may be notified in this behalf by the State Government from time-to-time.

Explanation - The premises of industrial unit does not include "Mines" and such premises used for residential purposes.

(k) **"Mines"** means a mine to which the Mines Act, 1952 (No. 35 of 1952) applies and for the purpose of Bihar Electricity Duty Act 1948 (as adopted in Jharkhand), includes the premises or machinery or plant situated in or adjacent to a mine and used for crushing, processing, treating, washing or transporting the mineral, but does not include an "Industrial Unit".

(l) **"Month"** means a calendar month;

(m) **"Notification"** means a notification published in the official Gazette of the Government.

(n) **"Person"** means an individual, firm, company or body corporate or association or body of individuals, whether incorporated or not, or artificial juridical person;

(o) **"Premises"** for the purpose of Bihar Electricity Duty Act 1948 (as adopted in Jharkhand) means premises used by any industrial undertaking or mining undertaking for industrial purposes or mining purposes other than the area used exclusively for the purpose of residence, commerce, office, sports, club, library, canteen.

(q) **"Prescribed Authority"** means the authorities as appointed under section 4 of the Jharkhand Value Added Tax Act 2005 (Jharkhand Act 05, 2006) and as specified under sub-section (2) of Section 4 of the said Act, to exercise and perform the powers and duties respectively conferred upon such authorities by or under the said Act, within the specified respective area(s) mentioned in the corresponding entries of the said notification and as prescribed to carry out the functions, duties and powers: in order to carry out the purposes of Bihar Electricity Duty Act 1948 (as adopted in Jharkhand).

Explanation - During the period between 10.06.2003 and 31.03.2006 the prescribed authorities shall be deemed to have been appointed u/s 9 of the Bihar Finance Act (Part-1) 1981 (Bihar Act 05 of 1981) (as adopted in Jharkhand).

(r) **"State"** means the State of Jharkhand.

(s) **"Supply"** in relation to electricity means the sale of electricity by a "licencee" to other licencee(s) or to "distribution licencee" or to consumer or the sale of electricity by a "distribution licencee" to consumer.

(u) **"Unit"** means one kilowatt hours of electricity;

The words and expressions used and not defined herein, shall have the same meaning assigned to them in The Electricity Act,2003.

4. The existing Section 3A of the Bihar Electricity Duty Act 1948 (as adopted in Jharkhand) shall be deleted.

5. Amendment in Section 4 of the Bihar Electricity Duty Act 1948 (as adopted in Jharkhand) -

(i) In sub-section (1), after the words "Every licensee" and before the words "shall pay every month", the words "or any other person, who is liable to pay duty," shall be added.

(ii) In sub-section (2), after the words "Every licensee" and before the words "may recover from the consumer", the words "or any other person, who is liable to pay duty," shall be added.

(iii) Sub-section (3) shall be deleted.

(iv) Sub-section (4) shall be substituted by the following: -

" Every person or the consumer, who is liable to pay duty, including any department of the State Government, who generates energy through its captive generating plant for his own use or for the use of his employees or partly for sale or partly for consumption or otherwise, shall pay every month at the time and in the manner prescribed, the proper duty payable under section 3 on the units of energy consumed by him or by his employees or as sold by him."

(v) Sub-section (4a) shall be substituted by the following: -

" Every person or the consumer, other than a licensee: who obtains energy for sale or for his own use or otherwise, bulk supply of energy generated by a licensee or a captive generating plant or any other person; shall pay the proper duty payable under section 3, on the units of the energy so sold or consumed by him, every month to the State Government at such time in the manner prescribed."

6. Amendment of the Schedule appended to the Bihar Electricity Duty Act 1948 (as adopted in Jharkhand) -

The existing schedule shall be substituted by the following Schedule:-

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

7 जुलाई, 2021

संख्या-एल०जी०-05/2011-**37**/लेज०-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक- **30/06/2021** को अनुमत **झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2021** का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

Jharkhand Electricity Duty (Amendment) Act, 2021

(**Jharkhand Act - 05, 2021**)

An Act to amend the Bihar Electricity Duty Act, 1948 (as adopted in Jharkhand vide S.O. No. 117 dated 15.12.2000).

Be it enacted in the Seventy two year of the Republic of India by the State legislature in the following manner:-

1. **Short title, extent and commencement –**

   (1) This Act may be called the Jharkhand Electricity Duty (Amendment) Act, 2021.
   (2) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
   (3) It shall come into force with effect from date of its publication in the official gazette.

2. **Amendment in Section 3**
   After sub-section (1) of Section 3, a proviso shall be added in the following manner-

   "Provided further that, the Government may, by notification, add to or amend or alter any of the categories or rates in the Schedule appended to this Act."

3. **Amendment in the Electricity Duty Schedule (Rate of Electricity Duty) appended to the Act.**

   The Electricity Duty Schedule (Rate of Electricity Duty) appended to the Act shall be substituted in the following manner:-

The Schedule

(See Section 3)

Sl. No.	Tariff Category	Slabs	Rate in percentum of net charges for energy consumed or sold
1	Domestic/Non Domestic LT/ Domestic HT/ Temporary Supply/ Advertisement/ Religious places/Prayer Establishments /Any category of consumption not falling under any categories.		6%

2	Industrial HT/Mining/Any type of HT connection excluding Domestic HT /Commercial HT	Up to 10 MVA	8%
		Above 10 MVA	15%
3	Irrigation & Agriculture		Exempted

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 फाल्गुन, 1943 (श०)

संख्या - 62 राँची, सोमवार, 21 फरवरी, 2022 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

17 फरवरी, 2022

संख्या-एल०जी०-12/2021-110—लेज० झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-**10/02/2022** को अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2021
(झारखण्ड अधिनियम संख्या-02, 2022)

अंगीकृत बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (झारखण्ड में एस०ओ० संख्या-117 दिनांक 15.12.2000 द्वारा अंगीकृत) यथा संशोधित झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2021 में संशोधन हेतु अधिनियम ।

एतद् द्वारा भारतीय गणतंत्र को 72वें वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ-

(i) यह अधिनियम झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा ।

2. अंगीकृत बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम 1948 -सह- यथा संशोधित झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2021 के साथ साथ संलग्न अनुसूची के पश्चात् एक नयी अनुसूची 'क' को निम्नवत् रूप से जोड़ा जाएगाः-

अनुसूची 'क'

(कैप्टिव खपत हेतु शुल्क दर)

क्र०सं०	शुल्क वर्ग	विद्युत उपभोग अथवा बिक्री के सकल यूनिट
1	खनन, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक इकाईयों जिनके द्वारा जेनरेटिंग सेट अधिष्ठापित किया गया है, के द्वारा कैप्टिव खपत ।	करमुक्त
2	सभी औद्योगिक इकाईयाँ जिनके द्वारा पावर स्टेशन का अधिष्ठापन किया गया है, के द्वारा कैप्टिव खपत ।	50 पैसे प्रति यूनिट उर्जा खपत
3	सभी खनन इकाईयाँ जिनके द्वारा पावर स्टेशन का अधिष्ठापन किया गया है, के द्वारा कैप्टिव खपत ।	50 पैसे प्रति यूनिट उर्जा खपत

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

17 फरवरी, 2022

संख्या-एल०जी०-12/2021-111—लेज० झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक- **10/02/2022** को अनुमत **झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2021** का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

Jharkhand Electricity Duty (Amendment) Act, 2021

(**Jharkhand Act, 02, 2022**)

An Act to amend Adopted Bihar Electricity Duty Act, 1948 (as adopted in Jharkhand vide S./O. No. 117 dated 15.12.2000) as amended Jharkhand Electricity Duty (Amendment) Act, 2021

Be it enacted in the Seventy second year of the Republic of India by the state legislature in the following manner-

1. Short title, extent and commencement –

(i) This Act may be called the Jharkhand Electricity Duty (Amendment) Act, 2021.

(ii) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.

(iii) It shall come into force w.e.f. date of its publication in the official gazette.

2. Schedule "A" shall be added as new Schedule in Adopted Bihar Electricity Duty Act, 1948 as amended Jharkhand Electricity Duty (Amendment) Act, 2021 after the current Schedule in the following manner:-

Schedule A
(Tariff in respect of captive consumption)

Sl. No.	Tariff Category	Gross units of energy consumed or sold.
1	Captive consumption by mining, commercial and industrial units, that have installed generating sets.	Exempted
2	Captive consumption by all Industrial units that have installed power station.	50 paise per unit of energy consumed
3	Captive consumption by all mining units that have installed power station.	50 paise per unit of energy consumed

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 62 -- 50